



फाइल नं0-71-3002(003)/1/2022-03

69/2026/1/1275297/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्साप शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/570, दिनांक 19.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹0 87,70,00,000/- (रूपये सत्तासी करोड़ सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग प्रधानाचार्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- (4) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,30,00,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)
	कुल			2,30,00,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,20,00,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			2,20,00,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	4,60,00,000 (रुपये चार करोड़ साठ लाख मात्र)
	कुल			4,60,00,000 (रुपये चार करोड़ साठ लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050353 (मेडिकल कालेज, देवरिया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050353 मेडिकल कालेज, देवरिया	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,30,00,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)
	कुल			2,30,00,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कुल			1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
-----	--	--	---

लेखाशीर्ष: 2210051050381 (मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 031	2210051050381 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,50,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र)
कुल			8,50,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050382 (मेडिकल कालेज, बस्ती)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 031	2210051050382 मेडिकल कालेज, बस्ती	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
कुल			9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050383 (मेडिकल कालेज, अयोध्या)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 031	2210051050383 मेडिकल कालेज, अयोध्या	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
कुल			3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050384 (मेडिकल कालेज, बहराइच)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 031	2210051050384 मेडिकल कालेज, बहराइच	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
कुल			2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050385 (मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

1	031	2210051050385 मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050386 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)

लेखाशीर्षः 2210051050393 (फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050393 फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	41,05,00,000 (रुपये इकतालीस करोड़ पाँच लाख मात्र)
	कुल			41,05,00,000 (रुपये इकतालीस करोड़ पाँच लाख मात्र)

महायोग	87,70,00,000 (रुपये सत्तासी करोड़ सत्तर लाख मात्र)
---------------	---

के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर, जौनपुर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर, जौनपुर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर, जौनपुर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।